उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 35/2025–26 दिनांक : 04.08.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री रमेश चन्द पंत पुत्र स्व0 श्री केशवदत्त पंत, परिवादी
ग्राम भंगा, किच्छा।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा।

निर्णय

परिवादी श्री रमेश चन्द पंत पुत्र स्व0 श्री केशवदत्त पंत का एक शिकायती पत्र दिनांक 21.05.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा दिनांक 07.07.2009 को विद्युत संयोजन संख्या–KC9G205006002 (05 एच.पी. नलकूप) लिया गया था। उस वक्त इस संयोजन पर विभाग द्वारा विद्युत मीटर स्थापित नहीं किया गया था तथा विद्युत बिल के तौर पर उनसे प्रतिवर्ष एकमुश्त राशि वसूली जाती थी, जिसकी रसीद भी संलग्न हैं। उनके द्वारा सूचना का अधिकार कानून के तहत अपने संयोजन के संबन्ध में कुछ दस्तावेज विभाग से मांगे गए, जिसमें उक्त संयोजन पर माह 06/2012 से विद्युत मापक संख्या–RE4710 स्थापित दिखाया गया, परन्तु विभाग द्वारा उक्त मीटर की स्थापना से संबन्धित सीलिंग प्रमाण पत्र उनको नहीं दिया गया । इसके अतिरिक्त विद्युत बिल में 01 रीडिंग से 19411 रीडिंग दर्शायी गयी है जिसका कोई बिल भी प्रेषित नहीं किया गया है। विभाग द्वारा माह 06/2016 से उक्त संयोजन का विद्युत मापक खराब दिखाया जा रहा है, जबकि उक्त संयोजन पर विद्युत मापक कभी स्थापित ही नहीं किया गया। विभाग द्वारा उनके संयोजन पर दिनांक 30.06.2021 को मीटर स्थापित कर सीलिंग प्रमाण पत्र जारी किया गया, जिसमें स्पष्ट अंकित है कि परिवादी के परिसर पर पुराना मापक स्थापित नहीं था, परन्तु विभाग द्वारा गलत तरीके से रू0 1,71,603.00 का विद्युत बिल बनाकर उन्हें प्रेषित किया गया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन के निर्गत होने से लेकर वर्तमान तक का विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा

क्रमशः 2.....

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 21.05.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 24.05.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 26.05.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 26.05.2025, 09.06.2025, 26.06.2025, 07.07.2025 व 21.07.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्रीमती प्रियंका रानी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3109 दिनांक 05.07.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया कि सुनवाई के दौरान प्राप्त निर्देशानुसार विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–प्रथम को मीटर संख्या–RE4710 के संबन्ध में उठाए गए बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण देने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जिसके संबन्ध में खण्ड कार्यालय का कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अधिशासी अभियंता ने यह भी अवगत कराया कि परिवादी के संयोजन की बिलिंग हिस्ट्री का अवलोकन करने के उपरांत विभागीय नियमानुसार उनका बिल संशोधित कर दिया गया है। संशोधन के उपरांत परिवादी पर माह 07 / 2025 तक ऊर्जा खपत का रू0 137420.00 एवं जमानत राशि का रू0 24683.00 सहित कुल रू0 164103.00 का वास्तविक विद्युत बिल भुगतान हेतु अवशेष है। सुनवाई के दौरान संशोधित बिल पर परिवादी द्वारा भी अपनी सहमति प्रकट की गई। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–प्रथम को प्रेषित पत्र, संशोधित बिल गणना एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मंगाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 54/2025–26 दिनांक : 04.08.2025

उपस्थितः **श्री रमेश चन्द्र मयाल**
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री विमल बढ़ोई पुत्र श्री भक्त बढ़ोई, **परिवादी**
वार्ड नं0 07, दिनेशपुर, तहसील गदरपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता **विपक्षी**
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादी श्री विमल बढ़ोई पुत्र श्री भक्त बढ़ोई की यह शिकायत दिनांक 11.06.2025 को नगर पंचायत भवन, दिनेशपुर, तहसील गदरपुर में आयोजित शिविर के दौरान इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के समक्ष प्रस्तुत की गई। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा दिनांक 26.03.2009 को एक नया विद्युत संयोजन लिया गया था जिसके उपरांत विभाग द्वारा उनके परिसर पर विद्युत मीटर (मीटर संख्या–20764) स्थापित कर दिया गया था। विभाग द्वारा जब से मीटर स्थापित किया गया है तब से आज तक एक भी विद्युत बिल प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर भी खराब हो गया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित खराब विद्युत मापक को बदलवाकर नया विद्युत मीटर स्थापित कराने एवं संशोधित विद्युत बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता को अविलम्ब रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्रांक–2577 दिनांक 21.07.2025 के माध्यम से इस मंच को अवगत कराया कि परिवादी की पुत्रवधू श्रीमती निर्मला पत्नी श्री मंगल राय द्वारा पत्र के माध्यम से खण्ड कार्यालय को बताया कि उनके ससुर श्री विमल बढ़ोई एक नेत्रहीन व्यक्ति है तथा वह उपरोक्त वाद पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं कराना चाहते है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप परिवादी द्वारा अपनी शिकायत वापस लेने के संबन्ध में लिखित पत्र की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

क्रमशः 2.....

परिवाद संख्या–54 / 2025–26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंहनगर क्षेत्र

परिवादी की पुत्रवधु श्रीमती निर्मला पत्नी श्री मंगल राय द्वारा दिनांक 18.07.2025 को मंच के समक्ष अपनी शिकायत वापस लेने के संबन्ध में लिखित पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनके ससुर द्वारा उक्त शिकायत भूलवश दर्ज कराई गई थी। उनके द्वारा उक्त शिकायत को निरस्त करने की प्रार्थना की गई। सुनवाई के दौरान परिवादी स्वयं भी उपस्थित थे। चूंकि परिवादी द्वारा अपनी शिकायत निरस्त करने हेतु लिखित अनुरोध किया गया है। तद्नुसार परिवादी की यह शिकायत अस्वीकार की जाती है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उपरोक्तानुसार खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 62/2025–26 दिनांक : 04.08.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री मोहन सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह, परिवादी
ग्राम मदनापुर, दिनेशपुर, तहसील गदरपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादी श्री मोहन सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह की यह शिकायत दिनांक 11.06.2025 को नगर पंचायत भवन, दिनेशपुर, तहसील गदरपुर में आयोजित शिविर के दौरान इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के समक्ष प्रस्तुत की गई। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU1D117122986 (03 किलोवाट घरेलू) को माह 04/2025 में स्थाई रूप से बन्द करा दिया गया था। संयोजन बन्द कराते समय जमानत की धनराशि रू0 10000.00 दिखा रहा था लेकिन वर्तमान में रू0 7000.00 ही दिखा रहा है। इस सम्बन्ध में विभागीय कार्यालय में सम्पर्क किया गया तो विभाग द्वारा बताया गया कि फाईनल बिल बनाते समय जमानत राशि को समायोजित किया गया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन की पूर्ण जमानत धनराशि को वापस कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता को अविलम्ब रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र पत्रांक 2753 दिनांक 04.08.2025 के माध्यम से इस मंच को अवगत कराया कि परिवादी के विद्युत संयोजन का अंतिम बिल रू0 2459.00 का समायोजन जमानत धनराशि में करने के उपरांत संयोजन के स्थाई विच्छेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर दी गई है। परिवादी की अवशेष जमानत राशि रू0 7771.00 के भुगतान हेतु विभागीय नियमानुसार महाप्रबन्धक (वित्त) कार्यालय देहरादून को पत्रांक 2595 दिनांक 22.07.2025 के माध्यम से मांग पत्र प्रेषित कर दिया गया है। महाप्रबन्धक (वित्त) कार्यालय से उक्त धनराशि प्राप्त होते ही नियमानुसार

क्रमशः 2.....

परिवादी को अवशेष जमानत राशि वापस कर दी जायेगी। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप महाप्रबन्धक (वित्त) देहरादून को प्रेषित मांग पत्र की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादी के संयोजन के सापेक्ष पूर्व में विपक्षी विभाग में रू0 10000.00 बतौर जतानत धनराशि जमा थे। संयोजन का स्थाई विच्छेदन होने के उपरांत विभाग द्वारा नियमानुसार उसका अंतिम बिल रू0 2459.00 बनाया गया, जिसका भुगतान परिवादी की जमा जमानत राशि में से समायोजित कर दिया गया, जोकि सही एवं नियमानुकूल है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है। उक्त समायोजन के उपरांत विपक्षी विभाग के पास परिवादी की रू0 7771.00 जमानत राशि अवशेष है, जिसके भुगतान हेतु नियमानुसार कार्यवाही गतिमान है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। परिवादी की यह शिकायत उपरोक्तानुसार अस्वीकार की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 63/2025–26 दिनांक : 04.08.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री जितेन्द्र कुमार, परिवादी
लेन नं0 01, जैन कालोनी, रूद्रपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार का एक शिकायती पत्र दिनांक 11.06.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनकी जैन कालोनी, रूद्रपुर में एक 11 केवी औद्योगिक विद्युत लाईन का निमार्ण किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त विद्युत लाईन उचित प्राधिकरण या सार्वजनिक परामर्श के बिना शुरू की गई है। इस हाई–टेंशन विद्युत लाईन से सम्बन्धित निवासियों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा और सेहत के लिए एक बड़ा खतरा है। घरों के पास ऐसी हाई–टेंशन विद्युत लाईन की मौजूदगी न केवल मानक सुरक्षा मानदंडों का भी उल्लंघन है। उचित शहरी नियोजन और पर्यावरण प्राधिकरणों से उचित मंजूरी के बिना कोई भी औद्योगिक स्थापना या भारी विद्युत अवसंरचना क्रियान्वित नहीं की जानी चाहिए। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपनी उक्त कालोनी में बन रही 11 केवी विद्युत लाईन की स्थापना के कार्य को तत्काल रोकने एवं परियोजना से सम्बन्धित प्राधिकरण दस्तावेजों का निरीक्षण एवं सत्यापन करने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 11.06.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 20.06.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 25.06.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 25.06.2025, 07.07.2025 व 21.07.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री मनोज जोशी, कार्यालय सहायक–2 के तर्क सुने गये।

क्रमशः 2.....

परिवाद संख्या—63 / 2025—26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—2581 दिनांक 21.07.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी / अवर अभियन्ता द्वारा दी गयी आख्या के अनुसार विद्युत लाईन का निर्माण विभागीय नियमानुसार सुरक्षा के मापदण्डों के अनुरूप ही किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपना लिखित जवाब दावे की प्रति प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रकरण की सुनवाई के दौरान परिवादी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ तथा परिवादी की शिकायत के संबन्ध में विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे पर परिवादी पक्ष की ओर से कोई आपत्ति भी प्रस्तुत नहीं की गई। तद्नुसार परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मंयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 69/2025–26 दिनांक : 04.08.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री सौरभ गुप्ता, एजिलटाउट ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, परिवादी
गली नं0 01, जैन कालौनी, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादी श्री सौरभ गुप्ता, एजिलटाउट ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड का एक शिकायती पत्र दिनांक 17.06.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा एजिलटाउट ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से 75 किलोवाट के एक लघु औद्योगिक नये विद्युत संयोजन हेतु विभागीय कार्यालय में आवेदन किया गया। उक्त संयोजन हेतु जमींदारी उन्मूलन अधिनियम की धारा–143 के अन्तर्गत भूमि उपयोग परिवर्तन, नगर निगम सहमति, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहमति, एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली (डीआईसी) मंजूरी एवं यूपीसीएल डिविजन से विद्युत अनुमोदन और व्यवहार्यता संबन्धी सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिए गए हैं। इसके उपरांत विद्युत विभाग की टीम स्थलीय निरीक्षण कर दिनांक 22.05.2025 को ट्रांसफार्मर व लाईन सम्बन्धी कार्य करने पहुंची तो श्री जीतू मेहन्दीरत्ता नामक एक व्यक्ति द्वारा पड़ोस की भूमि पर अपना मालिकाना हक जताते हुए लाईन निर्माण के कार्य में बाधा उत्पन्न की गई, जिस कारण विभागीय अधिकारी/कर्मचारी को उक्त कार्य को रोकना पड़ा। उक्त विद्युत लाईन के निर्माण एवं संयोजन ऊर्जीकृत करने का काम रोकने के लिए लगातार झूठी शिकायतें की जा रही हैं, जबकि उनके द्वारा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होने पर विभाग द्वारा नियमानुसार निरीक्षण करने के उपरांत ही विद्युत लाईन निर्माण एवं संयोजन जारी करने का कार्य प्रारम्भ किया गया था। शिकायतकर्ता ने इस मंच से उपरोक्त प्रकरण का संज्ञान लेते हुए उनको अवलिम्ब लघु औद्योगिक विद्युत संयोजन निर्गत करवाने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा

क्रमशः 2.....

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 17.06.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 28.06.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 07.07.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 07.07.2025, 21.07.2025 व 04.08.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री मनोज जोशी, कार्यालय सहायक–2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–2584 दिनांक 21.07.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी की मांग के अनुसार उसे नया औद्योगिक विद्युत संयोजन संख्या–RU0K000602452 (75 किलोवाट औद्योगिक) दिनांक 27.06.2025 को निर्गत कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप नये संयोजन जारी होने से सम्बन्धित ऑनलाईन सर्विस रिलीज की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र प्रयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 71/2025–26 दिनांक : 04.08.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती कान्ता पत्नी श्री भोपाल सिंह वास्ते श्री संतोष सिंह नेगी, **परिवादी**
नई बस्ती घरवाल कालोनी, काशीपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता **विपक्षी**
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर।

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती कान्ता पत्नी श्री भोपाल सिंह की ओर से श्री संतोष सिंह नेगी का एक शिकायती पत्र दिनांक 20.06.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–371BPK1126281 (01 किलोवाट घरेलू) पर स्थापित विद्युत मीटर सही प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा विभागीय टोल–फ्री नं0 1912 पर दिनांक 22.05.2025 को भी शिकायत दर्ज करायी गई है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर की जांच कराकर विद्युत मीटर को बदलवाने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 20.06.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 28.06.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 08.07.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 08.07.2025 व 22.07.2025 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री दीप चन्द्र पाण्डे, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–5072 दिनांक 08.07.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के परिसर पर दिनांक 25.06.2025 को स्थापित खराब विद्युत मापक को बदलकर नया विद्युत मापक स्थापित कर दिया गया है। विभागीय कार्यवाही के उपरांत परिवादिनी ने अपनी संतुष्टि ई–मेल के माध्यम से प्रकट की है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने

क्रमशः 2.....

जवाब के साथ साक्ष्य मीटर बदले जाने से सम्बन्धित सीलिंग प्रमाण पत्र एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 89/2025–26 दिनांक : 04.08.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री बाबू पुत्र श्री भोजराज वास्ते श्री विनोद सिंह, परिवादी
ग्राम बरवाल, पो0–केलाखेड़ा, बाजपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, बाजपुर।

निर्णय

परिवादी श्री बाबू पुत्र श्री भोजराज की ओर से श्री विनोद सिंह की यह शिकायत दिनांक 09.07.2025 को विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर में आयोजित शिविर के दौरान इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के समक्ष प्रस्तुत की गई। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–361CH02086212 (01 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल रू0 400 से रू0 500 तक का आता था। अचानक बिल रू0 7966.00 का निर्गत किया गया। उनके द्वारा मीटर की जांच हेतु शिकायत की गई, जिसके उपरांत मीटर चैक करने पर मीटर खराब पाया गया। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत मीटर की जांच कराकर विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता को अविलम्ब रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्रांक–2448 दिनांक 21.07.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया कि परिवादी के विद्युत मापक का कवर धुंधला होने के कारण मापक की रीडिंग स्पष्ट न दिखाई देने पर सम्बन्धित मीटर रीडर द्वारा माह 05/2025 के विद्युत बिल में गलत रीडिंग (9174 केडब्लूएच) अंकित की गयी, जिस कारण परिवादी का विद्युत बिल त्रुटिपूर्ण बन गया। वर्तमान में परिवादी के परिसर पर जाकर मापक का कवर खोलकर पुनः रीडिंग की जांच की गई जो कि 8465 केडब्लूएच दर्ज पायी गयी। मापक की वर्तमान रीडिंग के आधार पर परिवादी के विद्युत बिल को संशोधित कर दिया गया। संशोधन के उपरांत दिनांक 18.04.2025 से दिनांक 19.07.2025

क्रमशः 2.....

(03 माह) तक कुल 411 यूनिट की वास्तविक खपत की गई है, जिसका रू0 1883.00 का संशोधित बिल निर्गत कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल, वास्तविक मीटर पाठयांक फोटोग्राफ एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 91 / 2025–26 दिनांक : 04.08.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती विमला पाठक पुत्र श्री आनन्द चन्द पाठक, परिवादी
पशुपति विहार, काशीपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर।

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती विमला पाठक पुत्र श्री आनन्द चन्द पाठक की यह शिकायत दिनांक 09.07.2025 को विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर में आयोजित शिविर के दौरान इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के समक्ष प्रस्तुत की गई। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–371KRD1135397 (02 किलोवाट घरेलू) पर स्थापित पुराने विद्युत मापक को बदलकर नया स्मार्ट विद्युत मीटर लगाया गया है तब से उनका विद्युत बिल अधिक आ रहा है। उन्हें संदेह है कि उनका मीटर तेज चल रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने परिसर पर स्थापित स्मार्ट विद्युत मीटर की जांच कराकर विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता को अविलम्ब रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्रांक–6255 दिनांक 21.07.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया कि परिवादिनी के उक्त विद्युत संयोजन पर दिनांक 23.04.2025 को पुराना मापक उतारकर नया विद्युत स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया है। परिवादिनी को विद्युत मापक में अंकित रीडिंग के अनुसार ही बिल निर्गत किए जा रहे है। यदि परिवादिनी को परिसर पर स्थापित विद्युत मापक तेज चले का संदेह है तो वह विभागीय नियमानुसार चैक मापक हेतु आवेदन कर, निर्धारित शुल्क जमा करके परिसर पर स्थापित मीटर को चैक करा सकती है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

क्रमशः 2.....

परिवाद संख्या–91 / 2025–26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंहनगर क्षेत्र

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी के संयोजन पर दिनांक 23.04.2025 को विभागीय प्रक्रिया के अंतर्गत पुराना मापक हटाकर नया स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी को मीटर बदलने से पूर्व एवं मीटर बदलने के उपरांत लगातार मीटर में अंकित खपत (रीडिंग) के आधार पर बिल प्रेषित किए जा रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार इस दौरान परिवादिनी की मासिक विद्युत खपत में कोई अप्रत्याशित बढ़ोतरी भी दर्ज नहीं की गई है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस मंच का यह मत है कि परिवादिनी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है। परिवादिनी यदि चाहे तो वह अपने संयोजन पर स्थापित नए स्मार्ट मीटर के परीक्षण हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान करते हुए चैक मापक स्थापित करवाने के लिए स्वतंत्र है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उपरोक्तानुसार अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 77/2025–26 दिनांक : 05.08.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्‌ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री आशु डालमिया,
शांति विहार कालोनी, रूद्रपुर। परिवादी
बनाम
अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2 विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री आशु डालमिया का एक शिकायती पत्र दिनांक 26.06.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनकी कालोनी शांति विहार, रूद्रपुर में कई वर्षों से चली आ रही बिजली कटौती की समस्या नियमित रूप से बनी हुई है। इस सम्बन्ध में जितनी बार भी शिकायत की गई है विभाग की ओर से यही जवाब मिलता है कि विद्युत लाईन खराब है या ट्रांसफार्मर सर्विस का कार्य चल रहा है। विभाग की ओर से उक्त समस्या का कोई स्थाई समाधान नहीं किया गया है। इस समस्या से सम्बन्धित कालोनी वासियों को काफी परेशानी हो रही है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपनी कालोनी की विद्युत कटौती समस्या का स्थाई समाधान कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 26.06.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 05.07.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 07.07.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 07.07.2025 व 21.07.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री मनोज जोशी, कार्यालय सहायक–2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–2372 दिनांक 05.07.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी/अवर अभियन्ता की आख्या के अनुसार परिवादी कि एल.टी. केबिल जली हुई थी जो कि ए.बी केबिल द्वारा बदल दी गयी है और

क्रमशः 2.....

परिवाद संख्या–77 / 2025–26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से चालू कर दी गई है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप उपखण्ड अधिकारी की लिखित रिपोर्ट की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 83/2025–26 दिनांक : 05.08.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री नवीन चन्द्र पाण्डे पुत्र श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डे,
ग्राम छतरपुर, रूद्रपुर। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1 विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री नवीन चन्द्र पाण्डे पुत्र श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डे का एक शिकायती पत्र दिनांक 07.07.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–8922306173015 (02 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल प्राप्त नहीं हो रहा है। साथ ही उनके सोलर प्लांट द्वारा उत्पादित विद्युत का भुगतान भी लम्बित है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन का विद्युत बिल निर्गत कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 07.07.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 19.07.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 21.07.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 21.07.2025 व 04.08.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3384 दिनांक 01.08.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के परिवादी के उक्त संयोजन का माह 07/2025 का विद्युत बिल रू0 (–) 8732.45 निर्गत कर दिया गया है। सोलर प्लांट से संबन्धित धनराशि परिवादी को वापस करने की कार्यवाही गतिमान है। उक्त धनराशि शीघ्र परिवादी को वापस कर दी जाएगी। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप विद्युत बिल, कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की

क्रमशः 2.....

शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मियाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 96/2025–26 दिनांक : 05.08.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री ईश्वर चन्द पुत्र श्री त्रिलोक चन्द, परिवादी
विला नं0–बी20, प्रभल इन्क्लेव, ग्राम बगवाड़ा, रूद्रपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादी श्री ईश्वर चन्द पुत्र श्री त्रिलोक चन्द का एक शिकायती पत्र दिनांक 10.07.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–892A906204831 (02 किलोवाट घरेलू) उनके परिसर पर माह अक्टूबर 2017 में स्थापित किया गया है। संयोजन स्थापित होने के बाद कभी भी विद्युत मीटर नहीं बदला गया है। विभाग की ओर से जब स्मार्ट मीटर लगाने आये तो मीटर रीडर द्वारा पुराने बिल की प्रति मांगी गई। बिल में दर्ज खाता नम्बर (41701014306) एवं मीटर नम्बर (62301011) परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर के नम्बर (62814809) एवं खाता नम्बर (41701014276) से भिन्न पाया गया। परिवादी उक्त संयोजन का उपभोग 2017 से कर रहा है और नियमित बिल भुगतान भी करता आ रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर के वास्तविक नम्बर एवं खाता नम्बर की जांच कराकर विद्युत बिल में सही नम्बर दर्ज कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 10.07.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 19.07.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 21.07.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 21.07.2025 व 04.08.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3383 दिनांक 01.08.2025 के

क्रमशः 2.....

परिवाद संख्या–96 / 2025–26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि उपखण्ड अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के परिसर पर विद्युत संयोजन संख्या–892A906204831 पर मापक संख्या–62814809 स्थापित है, जिसको दिनांक 29.07.2025 को बिलिंग प्रणाली के माध्यम से ऑनलाईन प्रविष्टि कर सही कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मियाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 101/2025–26 दिनांक : 05.08.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती ज्योत्सना मण्डल पत्नी श्री तपन मण्डल, परिवादी
ग्राम चण्डीपुर, दिनेशपुर, तहसील गदरपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती ज्योत्सना मण्डल पत्नी श्री तपन मण्डल का एक शिकायती पत्र दिनांक 15.07.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU1D117190794 (01 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल पिछले 06 माह से गलत रीडिंग के आधार पर प्रेषित किया जा रहा है। विगत 06 माह से बिल में पिछली रीडिंग 3422 ही अंकित कर बिल प्रेषित किया जा रहा है। बिल अथवा मीटर में रीडिंग की भिन्नता के कारण सही बिल का पता नहीं चल रहा है। इस रीडिंग की गड़बड़ी के कारण बिल भी अधिक बनाया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर के पाठयांक की जांच कर वास्तविक पाठयांक के आधार पर पिछले 06 माह में प्रेषित किए गये बिलों को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 15.07.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 26.07.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 04.08.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 04.08.2025 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–2756 दिनांक 04.08.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी की बिलिंग हिस्ट्री जांचने पर ज्ञात हुआ कि परिवादिनी को आर.डी.एफ. के आधार पर बिल जारी हो रहे है। जिसके उपरांत परिवादिनी के विद्युत

क्रमशः 2.....

परिवाद संख्या–101 / 2025–26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

मीटर के वास्तविक पाठ्यांक के आधार पर परिवादिनी के आर.डी.एफ. विद्युत बीजक को संशोधित कर रू0 (–)1329.94 का बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 103/2025–26 दिनांक : 05.08.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री अनुज कुमार मौर्य पुत्र श्री शम्भू नाथ मौर्य, **परिवादी**
वार्ड नं0 02, ट्रांजिट कैम्प, रूद्रपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता **विपक्षी**
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर।

निर्णय

परिवादी श्री अनुज कुमार मौर्य पुत्र श्री शम्भू नाथ मौर्य का एक शिकायती पत्र दिनांक 18.07.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–8922006128441 (01 किलोवाट घरेलू) की सिक्योरिटी धनराशि रू0 1919.00 थी। उनके द्वारा रू0 600.00 का और भुगतान किया गया तो उनकी कुल सिक्योरिटी धनराशि रू0 2519.00 होनी चाहिए, लेकिन उनके संयोजन खाते में सिक्योरिटी रू0 600.00 ही दर्शाया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन खाते की सिक्योरिटी धनराशि की जांच कर वास्तविक सिक्योरिटी धनराशि खाते में दर्ज कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 18.07.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 26.07.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 04.08.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 04.08.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3412 दिनांक 02.08.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के उक्त विद्युत संयोजन के विद्युत बीजक में बिलिंग प्रणाली के माध्यम से पूर्व में भुगतान की गई जमा प्रतिभूति धनराशि रू0 1962.00 को अद्यतन कर दिया गया है। वर्तमान में उक्त परिवादी की कुल जमा प्रतिभूति धनराशि रू0 1962.00+600.00=रू0

क्रमशः 2.....

2562.00 है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 108 / 2025–26 दिनांक : 05.08.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री फूल चन्द वास्ते श्री हेमेन्द्र सिंह,
शिव नगर, रूद्रपुर। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1 विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री फूल चन्द की ओर से श्री हेमेन्द्र सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 26.07.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–891B325148271 (01 किलोवाट घरेलू) जिस परिसर पर स्थापित है वहां पिछले 30 घण्टों से विद्युत कटौती की समस्या बनी हुई है। इसकी शिकायत टोलफ्री नम्बर 1912 पर भी दर्ज करायी गयी है। शिकायत दर्ज होने के उपरांत भी विभाग की ओर से कोई भी लाईनमैन नहीं आया है। इतनी लम्बी विद्युत कटौती की समस्या से अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर की विद्युत कटौती की समस्या को जल्द से जल्द ठीक कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 26.07.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 02.08.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 04.08.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 04.08.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3413 दिनांक 02.08.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि उपखण्ड अधिकारी (प्रथम) द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 22.07.2025 को लगभग रात 1:30 बजे एक नग 12.5 एम0वी0ए0 पॉवर ट्रांसफार्मर Internal

क्रमशः 2.....

Fault के कारण ट्रिप हो गया था। दिनांक 23.07.2025 को सुबह 7:00 बजे परीक्षण ईकाई, रूद्रपुर को सूचित किया गया एवं परीक्षण ईकाई, रूद्रपुर द्वारा की गई टेस्टिंग के उपरांत पाया कि "transformer has been damaged by LV side of transformer short with body". खराब एक नग 12.5 एम0वी0ए0 पॉवर ट्रांसफार्मर को नये पॉवर ट्रांसफार्मर में बदलने की अग्रिम कार्यवाही की गई। साथ ही प्रभावी सम्बन्धित क्षेत्रों में दूसरे 12.5 एम0वी0ए0 पॉवर ट्रांसफार्मर से विद्युत व्यवस्था को सुचारू किया गया। दिनांक 23.07.2025 को रात 8:00 बजे नये पॉवर ट्रांसफार्मर से विद्युत व्यवस्था सुचारू कर दी गई है। जिसकी पुष्टि परिवादी ने ई–मेल के माध्यम से प्रकट की है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने लिखित जवाब दावे की प्रति प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 87/2025–26 दिनांक : 18.08.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री सत्यवीर सिंह पुत्र श्री गजराम सिंह, परिवादी
ग्राम गिन्नीखेड़ा, काशीपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर।

निर्णय

परिवादी श्री सत्यवीर सिंह पुत्र श्री गजराम सिंह की यह शिकायत दिनांक 09.07.2025 को विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर में आयोजित शिविर के दौरान इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के समक्ष प्रस्तुत की गई। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–371AJL1108316 (02 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल रू0 21549.00 का निर्गत किया गया है। वह अपने उक्त विद्युत बिल का पार्ट पेमेंट जमा कराना चाहता है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत बिल के पार्ट पेमेंट जमा कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता को अविलम्ब रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्रांक–6024 दिनांक 10.07.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया कि परिवादी द्वारा विद्युत बिल रू0 21198.00 के सापेक्ष धनराशि रू0 21000.00 जमा करा दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप परिवादी के कंज्यूमर लेजर की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है।

क्रमशः 2.....

परिवाद संख्या–87 / 2025–26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंहनगर क्षेत्र

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 88 / 2025–26 दिनांक : 18.08.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री सोमपाल पुत्र श्री बालकिशन, **परिवादी**
दुर्गा कालोनी, काशीपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता **विपक्षी**
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर।

निर्णय

परिवादी श्री सोमपाल पुत्र श्री बालकिशन की यह शिकायत दिनांक 09.07.2025 को विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर में आयोजित शिविर के दौरान इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के समक्ष प्रस्तुत की गई। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–372AIT2060079 (01 किलोवाट घरेलू) पर माह अप्रैल 2025 में स्मार्ट मीटर लगने के बाद विद्युत बिल अधिक धनराशि का प्रेषित किया गया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता को अविलम्ब रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्रांक–6531 दिनांक 04.08.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया कि परिवादी का बिलिंग विवरण जांचने पर पाया कि परिवादी को विद्युत खपत के आधार पर सही बिल जारी हो रहे हैं। यदि परिवादी अपने विद्युत बिल से असंतुष्ट है, तो वह विभागीय कार्यालय में आकर चैक मीटर हेतु आवेदन कर सकता है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप परिवादी की कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के संयोजन पर दिनांक 03.04.2025 को पुराना मीटर उतारकर नया स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया। परिवादी का कथन है कि स्मार्ट मीटर स्थापित होने के बाद से

क्रमशः 2.....

उनका बिल अत्यधिक आ रहा है, जबकि विपक्षी विभाग का तर्क है कि परिवादी को मीटर में अंकित खपत के अनुसार बिल प्रेषित किए जा रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार माह 12 / 2024 से 03 / 2025 तक परिवादी की मासिक विद्युत खपत 100 यूनिट से कम रही है, जबकि इसके उपरांत अगले तीन माह में उसकी खपत क्रमशः 291, 282 व 281 हो गई। परिवादी के विगत वर्षों की खपत का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है, कि उसकी सर्दी एवं गर्मी के मौसम की खपत में भारी अंतर का यह पैटर्न पिछले वर्षों से लगातार चला आ रहा है। विगत वर्ष भी माह 04 / 2024 से 10 / 2024 तक परिवादी की मासिक खपत 200 से 350 यूनिट के बीच रही, जबकि इससे पूर्व सर्दी के मौसम में माह 11 / 2023 से 03 / 2024 तक उसकी खपत 73 से 123 तक ही सिमटी रही। इससे पूर्व के वर्षों में भी परिवादी की विद्युत खपत का पैटर्न लगभग समान है। इससे स्पष्ट होता है कि परिवादी की वास्तविक खपत में वृद्धि के कारण ही उनका बिल अधिक धनराशि का आया है न कि नया स्मार्ट मीटर की वजह से। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है। परिवादी चाहे तो अपने संयोजन पर स्थापित मीटर की जांच हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मियाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 90/2025-26 दिनांक : 18.08.2025

उपस्थितः **श्री रमेश चन्द्र मयाल**
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री आनन्द चन्द पाठक पुत्र श्री खीमानन्द पाठक, **परिवादी**
दुर्गापुर कालोनी, काशीपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता **विपक्षी**
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर।

निर्णय

परिवादी श्री आनन्द चन्द पाठक पुत्र श्री खीमानन्द पाठक की यह शिकायत दिनांक 09.07.2025 को विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर में आयोजित शिविर के दौरान इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के समक्ष प्रस्तुत की गई। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-372AIT2028448 (01 किलोवाट घरेलू) पर स्थापित पुराने विद्युत मापक को बदलकर नया स्मार्ट विद्युत मीटर लगा दिया गया है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद से ही विद्युत बिल अधिक आ रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता को अविलम्ब रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्रांक-6530 दिनांक 04.08.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया कि परिवादी का बिलिंग विवरण जांचने पर परिवादी का विद्युत बिल खपत के अनुसार सही पाया गया है। यदि परिवादी अपने विद्युत बिल से असंतुष्ट है, तो वह विभागीय कार्यालय में आकर चैक मीटर हेतु आवेदन कर सकता है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप परिवादी की कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के संयोजन पर दिनांक 28.03.2025 को पुराना मीटर उतारकर नया स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया। परिवादी का कथन है कि स्मार्ट मीटर स्थापित होने के बाद से

क्रमशः 2.....

उनका बिल अत्यधिक आ रहा है, जबकि विपक्षी विभाग का तर्क है कि परिवादी को मीटर में अंकित खपत के अनुसार बिल प्रेषित किए जा रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार माह 12 / 2024 से 04 / 2025 तक परिवादी की मासिक विद्युत खपत 100 यूनिट से कम रही है, जबकि इसके उपरांत अगले तीन माह में उसकी खपत क्रमशः 159, 232, 300 हो गई। परिवादी के विगत वर्षों की खपत का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि उसकी सर्दी एवं गर्मी के मौसम की खपत में भारी अंतर का यह पैटर्न पिछले वर्षों से लगातार चला आ रहा है। विगत वर्ष भी माह 04 / 2024 से 10 / 2024 तक परिवादी की मासिक खपत 170 से 239 यूनिट के बीच रही, जबकि इससे पूर्व सर्दी के मौसम में माह 11 / 2023 से 03 / 2024 तक उसकी खपत 45 से 46 यूनिट तक ही सिमटी रही। इससे पूर्व के वर्षों में भी परिवादी की विद्युत खपत का पैटर्न लगभग समान है। इससे स्पष्ट होता है कि परिवादी की वास्तविक खपत में वृद्धि के कारण ही उनका बिल अधिक धनराशि का आया है न कि नया स्मार्ट मीटर की वजह से। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है। परिवादी चाहे तो अपने संयोजन पर स्थापित मीटर की जांच हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 92/2025–26 दिनांक : 19.08.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री कुलविन्दर सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, परिवादी
कंचनाल गाजी, काशीपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर।

निर्णय

परिवादी श्री कुलविन्दर सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह की यह शिकायत दिनांक 09.07.2025 को विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर में आयोजित शिविर के दौरान इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के समक्ष प्रस्तुत की गई। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–372BPK2143708 (02 किलोवाट घरेलू) पर स्थापित पुराने विद्युत मापक को बदलकर नया स्मार्ट विद्युत मीटर लगाया गया है, लेकिन जब से स्मार्ट मीटर लगाया गया है तब से आज तक बिल जारी नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने परिसर पर स्थापित स्मार्ट विद्युत मीटर का विद्युत बिल निर्गत कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता को अविलम्ब रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्रांक–6534 दिनांक 04.08.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया कि परिवादी को विद्युत मापक के वास्तविक पाठयांक के आधार पर बिल प्रेषित कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप बिल एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है।

क्रमशः 2.....

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मैथाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 93 / 2025–26 दिनांक : 19.08.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती दयावती पत्नी श्री राम अवतार, परिवादी
वास्ते श्रीमती सरस्वती देवी,
नारायण नगर, काशीपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर।

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती दयावती पत्नी श्री राम अवतार की ओर से श्रीमती सरस्वती देवी की यह शिकायत दिनांक 09.07.2025 को विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर में आयोजित शिविर के दौरान इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के समक्ष प्रस्तुत की गई। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–372NA12028814 (01 किलोवाट घरेलू) जो श्रीमती दयावती के नाम दर्ज है। जबकि परिवादिनी श्रीमती सरस्वती देवी पिछले 10 से निवास कर रही है और उक्त संयोजन का उपभोग कर, बिल जमा कर रही है। अब वह उक्त संयोजन को अपने नाम दर्ज कराना चाहती है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से उक्त विद्युत संयोजन को अपने नाम दर्ज कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता को अविलम्ब रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्रांक–6254 दिनांक 21.07.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया कि परिवादिनी के उक्त विद्युत संयोजन में उपभोक्ता का नाम/स्वामित्व परिवर्तन माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा पारित UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 के बिन्दु संख्या–4.3.1 (Change of Consumer's Name due to Change in ownership/occupancy of property) में दिये गये प्राविधानानुसार किया जाना ही सम्भव है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून द्वारा जारी उक्त आदेश की प्रति भी प्रस्तुत

क्रमशः 2.....

परिवाद संख्या–93/2025–26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंहनगर क्षेत्र

की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादिनी द्वारा अपनी शिकायत में अपने निवास पर स्थापित विद्युत संयोजन को अपने नाम पर परिवर्तित करवाने का अनुरोध किया गया है, परन्तु उनके द्वारा इस संबन्ध में वर्तमान तक विपक्षी विभाग के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः परिवादिनी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 94/2025–26 दिनांक : 19.08.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री राम अवतार पुत्र श्री किशन लाल गुप्ता, परिवादी
प्रभु विहार मानपुर रोड, काशीपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर।

निर्णय

परिवादी श्री राम अवतार पुत्र श्री किशन लाल गुप्ता की यह शिकायत दिनांक 09.07.2025 को विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर में आयोजित शिविर के दौरान इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के समक्ष प्रस्तुत की गई। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–372BCN2108416 (02 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल रू0 1500–2000 तक का ही आता था। लेकिन मई 2025 में स्मार्ट मीटर लगने के बाद से बिल रू0 8990.00 का निर्गत किया गया है जो बहुत अधिक है। जबकि उनकी विद्युत खपत बहुत कम है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता को अविलम्ब रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्रांक–6539 दिनांक 04.08.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया कि परिवादी के विद्युत बिल को विभागीय नियमानुसार संशोधित कर रू0 7286.66 का बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना, कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

क्रमशः 2.....

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र सग्याल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य